



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

संख्या : - 46 / 41 / गोपन / पी0सी0एस0(जे0) / 2013-14,

दिनांक : 15 अक्टूबर, 2014

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक: 31.07.2014 से 02.08.2014 तक आयोजित उत्तराखण्ड राज्य न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0)-2013 की मुख्य (लिखित) परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया जाता है-

200107	200185	200482	200669	200766	200906
200949	201103	201157	201185	201272	201369
201704	201751	201848	201864	201884	201919
202061	202107	202234	202605	202613	203161
203444	203472	203580	203872	203903	203905
204658	204672	205024	205293	205462	205634
205830	205852	205906	206320	206353	206367
206372	206445	206455	206468	206699	207121
207414	207517	207882	207942	207981	207984
208060	208156	208383	209516	209687	209829
210138	211198	211253	211291	211479	211678
211803	211942	211951	211987	211988	212121
212136	212482	212586	TOTAL - 75 CANDIDATES		

नोट-

1. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि से सम्बन्धित दावे के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना अवशेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार के दौरान समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा

साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2. उक्त परीक्षा परिणाम मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 330 (एस/बी) आफ 2013, रिट याचिका संख्या 4 (एस/बी) आफ 2014, रिट याचिका संख्या 178 (एस/बी) आफ 2014 एवं रिट याचिका संख्या 133 (एस/बी) आफ 2014 तथा मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय में दायर रिट याचिका (पीआईएल) 67/2011 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
3. साक्षात्कार माह नवम्बर, 2014 के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाईट पर अलग से प्रसारित किया जाएगा।
4. अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स से सम्बन्धित सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर जारी की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत कोई आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं होगा एवं न ही उन पर विचार किया जायेगा।

सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय
सचिव